बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

संख्याः–02 / स्था०प्र०आ०–17 / 2024 / 1189 / आ०प्र०   पटना, दिनांक– 24-04-2026

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 के द्वारा राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा अन्तर्गत सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों व गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को राज्य आपदा रिस्पौंस फंड (SDRF) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई थी।

2. परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–4887 दिनांक–11.08.2021 के द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली 2021 के तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु एवं गम्भीर रूप से घायल होने पर तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान किया गया, जो दिनांक–15.09.2021 से प्रभावी था। तदालोक में आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3832 दिनांक–27.09.2021 के द्वारा विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा में से सामूहिक सड़क दुर्घटना को दिनांक–15.09.2021 के प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है।

3. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा 'Hit & Run' सड़क दुर्घटना मामले में मृतक के परिजनों / घायलों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–163(अ), दिनांक–25.02.2022 के आलोक में मुआवजा के भुगतान हेतु दिशा निर्देश दिया गया, जो दिनांक–01.04.2022 से वर्तमान में प्रभावी है। साथ ही, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–7997 दिनांक–20.10.2023 के द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 तथा बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 को विलोपित कर दिया गया।

4. फलस्वरूप, दिनांक–15.09.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि में राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों तथा घायल व्यक्तियों को परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किसी सहायता राशि / मुआवजा का भुगतान नहीं किए जाने के आलोक में उक्त अंतरिम अवधि में राज्य में सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतक के निकटतम परिजनों तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को सहायता राशि / मुआवजा का भुगतान करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

अतः दिनांक–15.09.2021 से 31.03.2022 तक की अंतरिम अवधि में राज्य में सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों एवं गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को विभागीय पत्रांक–1973 / आ०प्र० दिनांक–26.05.2015 के द्वारा संसूचित साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। उक्त साहाय्य राशि केवल उन्हीं पीड़ितों को दी जाएगी, जिन्हें अन्य किसी भी स्तर से साहाय्य मानदर / अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया गया हो।

5. इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–22.04.2026 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ० चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०—17 / 2024 / ....1189.... / आ०प्र० पटना, दिनांक— 24-04-2026

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०—17 / 2024 / ....1189.... / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव / पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०—17 / 2024 / ....1189.... / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०—17 / 2024 / ....1189.... / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०—17 / 2024 / ....1189.... / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना की प्रति एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना गजट की सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०—17 / 2024 / ....1189.... / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

24/04/26

सचिव